दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग से चार लोग जिंदा जले, तीन की मौत

तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले, एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया

अलवर, (निसं)। अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात एक पिकअप में आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की बुरी तरह जलने से मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार हादसा जिले के रैणी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब एक बजे हुआ। एएसआई मोहम्मद आमीन ने बताया कि अंदाजा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है। टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई। तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले। एएसआई ने बताया पिकअप में मिले तीन लोगों के शवों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे में घायल ड्राइवर की पहचान हन्नी निवासी झज्जर (हरियाणा) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है।

अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आग लगने पिकअप गाड़ी पूरी तरह से जल गई।

- बताया जा रहा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है, टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई
- पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, इसके बाद ही पता लगेगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग देखने के बाद कई गाड़ियां मौके पर ही रुक गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तक रेस्क्यू शुरू किया गया, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी।

पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके बाद ही साफ होगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी। शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पिकअप वाहन के नंबरों से जानकारी मिलने पर वाहन झज्जर (हरियाणा) का पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार : टोंक जिले की स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अवैध हथियारों के विरुद्ध के तहत उनकी टीम ने निवाई सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को क्षेत्र स्थित मुंडिया कट के पास से आरोपी मोहिद खान पुत्र रुस्तम खान निवासी खिड़की थाना बरौनी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई।

डीएसटी टीम ने आरोपी को निवाई सदर थाना पुलिस को सौंप दिया, जिसके खिलाफ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवाई सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।

दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ाई

अजमेर, (कासं)। पटवार परीक्षा 2025 के तहत सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि आगामी 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। उप निबन्धक (भू अभिलेख) रवीन्द्र कुमार ने बताया कि अधिकाधिक अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में तीन दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए 17 दिसम्बर तक दस्तावेज सत्यापन कार्य हुआ जिसमें साढ़े छह हजार से अधिक अभ्यर्थियों को सत्यापन का लाभ मिला। शेष अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी 22 दिसम्बर की शाम पांच बजे तक दस्तावेज सत्यापन कराने को कहा गया है। यह कार्य यथावत आरआरटीआई जयपुर रोड अजमेर में सम्पादित होगा।

परीणाम जारी

अजमेर, (कासं)। 11वीं बटालियन आरएसी वजीराबाद रियर मुख्यालय नारेली के लिए कॉस्टेबल सामान्य की भर्ती शारीरिक दक्षता एवं माप तौल परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इसे राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। 11वीं बटालियन के कमाण्डेन्ट केवल राम ने बताया कि बटालियन के रियर मुख्यालय नारेली के नोटिस बोर्ड पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

जोधपुर की कायलाना झील में युवक-युवती के शव मिले

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के कायलाना झील में बुधवार सुबह युवक-युवती के शव मिले। झील किनारे एक एक्टिवा, बैग, मोबाइल और जैकेट भी मिला। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है। युवक-युवती दोनों पड़ोसी थे। हादसा राजीव गांधी नगर थाने का है।

एएसआई रावल राम ने बताया कि हर्ष परिहार (21) पुत्र राजेश परिहार और चेष्टा धोला (20) पुत्री विकास धोला मंगलवार को खांडा फलसा थाना क्षेत्र स्थित अपने घरों से निकले थे। दोनों एक ही जाति के थे और पड़ोसी थे। परिवार ने मंगलवार को सिटी पुलिस थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गोताखोरों की टीम ने दोनों को बॉडी को बाहर निकाला।

- मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है

एएसआई ने बताया कि मंगलवार शाम को करीब पांच बजे कायलाना झील के आगे तखत सागर के पास दोनों की स्कूटी और बैग मिले थे। इसके बाद कायलाना पुलिस चौकी के सिपाही दिनेश सोडा और गोताखोर भरत चौधरी के साथ मौके पर जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने के कारण दोनों के शव नहीं मिल सके। इसके बाद आज सुबह फिर से अभियान शुरू किया। शव गहरे पानी में फंसे हुए मिले। इस दौरान मौके पर परिजन भी मौजूद थे। शवों को एमडीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर पालिका, सादड़ी (जिला-पाली) राज.
पताः मैन बस स्टेण्ड, सादड़ी (आपकी सेवा में सदैव तत्पर)
Ph.-02934-285022 email: npsadri1979@yahoo.com, gmail.com
क्रमांक : न.पा.सा./2025/4232-4234 दिनांक 15.12.2025
-:: Notice Inviting Bid ::-
Bid for subject matters of procurement are invited from intreseted bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in) of the state departmental website.
UBN NO :- DLB2526WSOB27334
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादड़ी
राज.संवाद/सी/25/15940

चोरी करने वाले तीन बदमाश सात घंटे में गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। अलवर के अखेपुरा थाना पुलिस ने दुकान में चोरी कर नकदी पार करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई घनश्याम शर्मा ने बताया कि परिवादी महेंद्र जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अशोका टॉकीज से पुलिस लाइन की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित उनकी नवकार ट्रेडर्स के नाम से दुकान व गोदाम में चोरों ने वारदात की थी।

- छत का ताला तोड़कर दुकान में घुसे और गल्ला तोड़कर 65 हजार रुपये ले गए थे

पुलिस ने दुकान में चोरी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

परिवादी के अनुसार सोमवार रात चोर दुकान के पीछे छत पर चढ़े और सीढ़ियों का ताला तोड़कर नीचे उतरे। इसके बाद दराज से 65 हजार रुपये नकद और एक आधार कार्ड चोरी कर ले गए। परिवादी ने मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे थाने में शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूचना के आधार पर कांस्टेबल विक्रम और कांस्टेबल गिर्राज की टीम ने तीन आरोपियों-लोकेश कुमार निवासी नवाबपुरा मोहल्ला, राहुल बैरवा निवासी गाय वाला मोहल्ला और राहुल कोली निवासी ज्योति नगर, 200 फुट रोड को मंगलवार शाम छह बजे ही डिटेन कर थाने ले आए। बुधवार को सात घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया है। वारदात में चोरी गई नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

सड़क नहीं बनने पर कलैक्टर व एसडीएम की संपत्ति कुर्क होगी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और गिरफ्तार भी किया जा सकता है

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सिविल न्यायाधीश ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट (लोक अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया फैसला) की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहन जाखड़ ने बताया कि भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर और अन्य ने एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया था। लोक अदालत ने सुनवाई के बाद 27 सितंबर 2023 को वहां सड़क निर्माण का आदेश दिया था। अधिवक्ता जाखड़ ने बताया कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने उस आदेश की पालना नहीं की। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष अवमानना याचिका पेश की और स्थायी लोक अदालत की डिक्री (फैसले) की पालना करवाने की मांग की।

जिला न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल न्यायाधीश भोपालगढ़ को डिक्री की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अब सिविल न्यायाधीश ने चारों जिम्मेदार अधिकारियों ईओ नगर पालिका भोपालगढ़, तहसीलदार भोपालगढ़, एसडीएम भोपालगढ़ और जिला कलैक्टर जोधपुर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आगामी 24 दिसंबर तक आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अप्रार्थीगणों (अधिकारियों) की संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी वारंट जारी कर डिक्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
क्रमांक :-न.प.सु/विकास शाखा/2025/9280 दिनांक :- 11.12.2025
:-ई-निविदा सूचना-2025-26:-
नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदा दिनांक 22.12.2025 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2526WSOB26910), (DLB2526WSOB26911), (DLB2526WSOB26913), (DLB2526WSOB26914) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।
आयुक्त नगर परिषद सुजानगढ
राज.संवाद/सी/25/15979

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org
क्रमांक : निविजा/2025-26/ई -32 दिनांक :- 16.12.2025
(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 32/2025-26
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु कुल राशि रु0 58.12 लाख के कुल 03 कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 16.12.2025 एवं अंतिम तिथि 29.12.2025 तथा निविदा खुलने की तिथी 30.12.2025 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।
UBN No. UNP2526WSOB00124
अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम, उदयपुर
राज.संवाद/सी/25/15961

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.
गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर
टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 ई-मेल :- npvijaynagar@gmail.com
ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025-26
नगर पालिका बिजयनगर द्वारा राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से सिविल कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रीया से वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025-2026 के कार्य संख्या 01 से 02 की अनुमानित लागत 47.05 लाख हैं। ऑन लाईन निविदाए दिनांक 15-12-2025 से 26-12-2025 समय सांय 6:00 बजे तक डाउनलोड की जाकर दिनांक 29-12-2025 को निविदा शुल्क, अमानत राशि एंव प्रोसेसिंग शुल्क की UTR Receipt भौतिक रूप से समय 12:00 PM तक कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। ऑन लाईन निविदा की ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक 30-12-2025 समय प्रातः 10:00 बजे खोली जायेगी। अधिक जानकारी वेबसाईट https://sppp.raj.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
UNB Reference No:- DLB2526A9096
राज.संवाद/सी/25/15916 अधिशाषी अधिकारी

अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा, दो शातिर गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। डीएसटी जोधपुर ग्रामीण और बिलाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर समेत दो शातिर तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मुख्य आरोपियों की पहचान ललित सीरवी और दिलजीत पूनिया के रूप में हुई है। ये दोनों जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे।

- पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए
- दोनों आरोपी जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे
- पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे

एएसपी भोपालसिंह लखावत ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशानुसार पुलिस अवैध हथियारों को लेकर अभियान चला रही है। इसी क्रम में टीम को अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सूचना मिली थी। इस पर टीम ने सी अन्नराज सिंह के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार और थानाधिकारी बिलाड़ा सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम ने बिलाड़ा बाईपास के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्यप्रदेश से अवैध हथियार खरीदकर लाए थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी इन हथियारों को कहां काम लेने वाले थे। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ अवैध हथियार तस्करी को लेकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ललित सीरवी निवासी खारिया मीठापुर, दिलजीत जाट निवासी पिचियाक को गिरफ्तार किया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए गए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे।

बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा

मांगरोल, (निसं)। मांगरोल थाना क्षेत्र के गांव रिंझियां में बेटे ने अपने पिता को धारदार कुठे (एक हथियार) से मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों की सूचना पर मांगरोल थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक की लाश को अपने कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां शव को मोर्चरी में रखा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड बैठाकर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर सोभाग मल मीणा, डॉक्टर आर बी मीणा व अन्य डॉक्टर के साथ मिलकर शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। अंता डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह आढा ने बताया गया कि गृह क्लेश के चलते आए दिन झगड़ा के कारण बेटे ने पिता पर कुठे से हमला कर सिर, पेट व एक हाथ का पंजा काट दिया, जिससे घटना स्थल पर नरोत्तम उर्फ पप्पू पुत्र सूरजमल निवासी रिंझियां की मौत हो गई। मृतक ने पहले वाली पत्नी को छोड़कर सहरिया जाति की औरत से शादी कर रखी थी, सहरिया औरत के साथ गांव ब्रह्मपुर रामगढ के पास थाना किशनगंज क्षेत्र में रहते थे। कभी-कभी अपने गांव रिंझियां आया करता था। मृतक नरोत्तम की पत्नी सरोज सहरिया ने हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुलजिम विजय नागर के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया।

राजस्थान युवा बोर्ड
(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर टेलीफैक्स 0141-2741489
क्रमांक :- F.01(15)RYB/2025-26/00021-7863630 जयपुर, दिनांक :- 15/12/2025
शुद्धि पत्र संख्या - 1
"राजस्थान युवा महोत्सव" का भव्य एवं सफल आयोजन हेतु इवेन्ट मैनेजमेंट (EVENT MANAGEMENT) के सम्पूर्ण कार्य हेतु दक्ष, प्रतिष्ठित व अनुभवी फर्मो/संस्था/कंम्पनी से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26, दिनांक 15.12.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की गई है, जिसमें आंशिक संशोधन कर दिनांक 18.12.2025 दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है। संशोधन का पूर्ण विवरण राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर की वेबसाईट www.youthboard.rajasthan.gov.in एवं लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
राज.संवाद/सी/25/15928 सदस्य सचिव

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/217 - 219 Date :- 12/12/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 63/2025-26
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यो की कुल लागत	रूपये 248.87 लाख (09 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	02.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. : ITU2526WSOB00357 To ITU2526WSOB00365
अधिशाषी अभियन्ता - प्रथम उदयपुर विकास प्राधिकरण
राज.संवाद/सी/25/15921

किसान महापंचायत में एथेनॉल फैक्टरी हटने तक आन्दोलन जारी रखने का ऐलान

हनुमानगढ़, (निसं)। जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर आम आदमी की जमीन, हवा और पानी छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने फैक्टरी हटने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि समय आने पर यही काम आएंगे। महापंचायत में राजस्थान के साथ पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन से दो घंटे चली बातचीत के बाद आज की महापंचायत को संपन्न कर दिया। अब सात जनवरी को संगरिया में महापंचायत होगी।

- जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर हमला बोला
- ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो, अब सात जनवरी को संगरिया में जुटेंगे : किसान नेता राकेश टिकैत
- टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि टिब्बी में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्टरी के मामले में कहा जा रहा है कि इससे विकास होगा, नौकरी मिलेगी। कहते हैं कि आप विकास का विरोध कर रहे हैं। उन्हें यही कहना है कि जहां फैक्टरी लगेगी वहां जमीन, हवा और पानी दूषित होगा। फैक्टरी शुरू हो गई तो प्रशासन को दूषित पानी दिखाते रहना। ये 14 फैक्टरी के बराबर है, इसलिए टिब्बी की संघर्ष कमेटी जो फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसा मामला हुआ। मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारा की जमीन हाईवे के रास्ते में आ रही थी। वहां झंडा लगा दिया। सरकार को सड़क का रास्ता बदलना पड़ा। यहां भी झंडा गाड़ दो कि एक किलोमीटर के घेरे में जो ट्रक आएगा वो वापिस नहीं जाएगा। ट्रक नहीं आएगा तो फैक्टरी का सामान कहां जाएगा। टिकैत ने कहा कि प्रशासन 144 लगाता है तो किसान भी उससे दोगुनी धारा लगाएगा। अब फैसला संघर्ष समिति को लेना है। संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष कमेटी के साथ है। अभी तो बीज कानून के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार जमीन छीनना चाहती है। परिवारों को सरकार बांट रही है। इसके खिलाफ लड़ना है। यहां के कलैक्टर ने ट्रैक्टर को हथियार बताया, उनका धन्यवाद। मैं तो कहता हूं कि ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो। आंदोलन में यही काम आएगा। प्रशासन भले ही रोके लेकिन जहां जाओ ट्रैक्टर लेकर जाओ। आंदोलन में तो ट्रैक्टर जरूर लेकर जाना।

वहीं किसानों ने एथेनॉल फैक्टरी हटाने और 10 व 11 दिसंबर को दर्ज हुए मुकदमे रद्द करने की मांग की। इसी बीच, बुधवार सुबह सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक आदेश सार्वजनिक किया गया। इस आदेश के अनुसार, टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में बीकानेर संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। हनुमानगढ़ जिला कलैक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धान मंडी के मुख्य गेट को छोड़कर अन्य सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और उनके आगे ट्रॉलियां लगाई गई। टिब्बी की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कलैक्ट्रेट से करीब आधा किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया है। कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।

चढ़ूनी ने कहा कि किसान मुकदमों से डरने वाला नहीं है। यहां की कमेटी जो निर्णय लेगी वहीं लागू होगा। पूरे देश का किसान यहां के लोगों के साथ खड़ा होगा। सरकार को साफ बताना चाहते हैं कि फैक्टरी बंद करनी है तो मतलब बंद कर दो। किसान की बात हल्के में मत लेना। मुकदमे रद्द कर दो, अगर मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन हरियाणा में भी होगा। उगराहा ने कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा, जब एथेनॉल फैक्टरी हटेगी। पहले सरकार आम आदमी की शिक्षा, रोजगार छीन रही थी। अब बात जमीन, पानी और हवा तक आ गई। एथेनॉल जैसी फैक्ट्रियों से यह सब दूषित हो गया तो आम आदमी कहां जाएगा।

पांच हजार की रिश्वत लेते महिला पटवारी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की श्रीगंगानगर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ की महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवादी उसकी माता के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की भूमि के इंतकाल दर्ज करने की एवज मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की श्रीगंगानगर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी माता जी के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की जरिये वैयनामा क्रय की गई भूमि का इंतकाल दर्ज करने की एवज में महिला पटवारी ममता ने 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा 5 हजार रुपये रिश्वत के पूर्व में ले लिये। अब शेष 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन कुमार मीणा ने ट्रेप की कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये बतौर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL RAJSAMAND
Zila Parishad Road, Rajnagar, Rajsamand Pin 313324
Email :- rajsamandnagarpalika@gmail.com Telephone No. 02952-220034
S. No. F ( )/MCR/Processing Plant/RFP/2025/7702 Date :- 11.12.2025
Corrigendum-I
Technical and financial bids in signle stage two envelops un conditional sealed bid has been invited by Municipal Council Rajsamand to vide SN. 6422 Dated 07-11-2025 submission dated 12-12-2025 at 06:00 PM UBN No. DLB2526WLOB23741 for Design, construction, establishment and development of processing plant and required development work and maintenance of Engineered sanitary landfill site and o&m the 20 years having a minimum adequate capacity for Rajsamand and scalable further as per requirement on VGF basis. The date & time are hereby revised as details below.
Schedule of Bidding Process

Important Events	पूर्वानुसार तिथि व समय	संशोधित तिथि व समय
Estimated Cost	680.00	680.00
Publishing Date & Time	11.11.2025 at 06:00 PM	11.11.2025 at 06:00 PM
Bid Download start Date & Time	12.11.2025 at 09:00 AM	12.11.2025 at 09:00 AM
Bid submission End Date & Time	11.12.2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in	23-12-2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in
Physically Document Submission Date & Time	12.12.2025 at 01:00 PM	24-12-2025 at 01:00 PM
Technical Bid Opening Date & Time	12.12.2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand	24-12-2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand

Details may be seen at the state public procurement portal http// www.sppp.rajasthan.gov.in, http//www.eproc.rajasthan.gov.in in and may be downloaded from these website.
Commissioner Municipal Council Rajsamand
Raj.Samwad/C/25/15986